ढ़ोली कोठी प्रक्षेत्र

निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र, ढ़ोली

(डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार)

पत्रांक 31 / ढ़ो० को० प्रक्षेत्र   दिनांक :- 10/06/2021

निविदा सूचना

निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र के अन्तर्गत ढ़ोली कोठी प्रक्षेत्र के अधिनस्थ मुरौल प्रक्षेत्र में लगभग एक हेक्टेयर में स्थित तलाब का बन्दोबस्ती हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। बन्दोबस्ती के लिये मुहरबन्द निविदा विहित प्रपत्र पर दिनांक 26.06.2021 के 5:00 बजे अपराह्न तक सिर्फ निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा प्राप्त निविदा दिनांक 28.06.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में समिति के सदस्यों के समक्ष ढ़ोली कोठी प्रक्षेत्र प्रांगण में खोली जायेगी। निविदादाताओं को जमानत राशि के रूप में रूपया 15,000=00 (पंद्रह हजार रूपया) मात्र का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, बीज एवं पक्षेत्र, ढ़ोली के नाम से निविदा के साथ जमा करना होगा, जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ढ़ोली में देय होगा। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदा की एक वर्ष का पूर्ण राशि 24 घंटा के अन्दर जमा करना होगा एवं प्रति वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ जून महिने में जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी। सफल निविदादाता को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं को निविदा समाप्ति के तुरंत बाद बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।

समिति को समुचित राशि नहीं मिलने पर बन्दोवस्ती हेतु बोली लगाकर अथवा मोल–भाव कर तय करने का अथवा निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा प्रपत्र अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा विपत्र जमानत राशि के साथ बन्द लिफाफा में भरकर सिर्फ निबंधित डाक द्वारा उप निदेशक ढ़ोली कोठी प्रक्षेत्र, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढ़ोली के नाम से भेजना होगा।

शर्तें:–

1. मछली निलामी लेने के बाद तालाब की सुरक्षा एवं अन्य क्षति की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। तालाब की सुरक्षा में सामिल व्यक्यिों का नाम एवं पता सुरक्षा पदाधिकारी, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढ़ोली के संज्ञान में देना होगा।
2. सफल निविदादाता को तालाब की सिर्फ मछली को दिनांक 31.05.2024 तक निकाल लेना होगा नही तो वर्णित तिथि के बाद तालाब की मछली पर निविदादाता का अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3. सफल निविदादाता की जमानत की राशि निविदा अवधि की समाप्ति के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।

(हस्ताक्षर) 10.6.21
उप निदेशक
ढ़ोली कोठी प्रक्षेत्र